एक नजर में

बाजना में नाबालिग दूल्हे का विवाह रोका

रतलाम। बाजना क्षेत्र के ग्राम धोलपुरा में होने जा रहे एक बाल विवाह को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की सतर्कता से समय रहते रुकवा दिया गया। सुबह फेरे होने से पहले प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच में दूल्हा नाबालिग पाए जाने पर विवाह रुकवा दिया गया। कार्रवाई के बाद बारात बिना फेरे लिए वापस लौट गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि चाइल्डलाइन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना को सूचना मिली थी कि ग्राम धोलपुरा निवासी छाया पिता राकेश का विवाह ग्राम हाली वाला भगोरा निवासी निलेश पिता कैलाश भगोरा के साथ 29 मई को कराया जा रहा है।

भिंड में आंधी तूफान ने मचाया कहर

भिंड। जिले में आज देर रात अचानक मौसम का मिज़ाज बदल गया। गोहद, मौ, मेंहगांव, मालनपुर, रौंन, मिहोना, दबोह, आलमपुर, मछंड, लहार सहित अंचल के कई कस्बों में आंधी तूफान का कहर बरपा। कई मकानों की पशु टीन शेड और छप्पर उड़ गए। आंधी के थमने के बाद जमकर बरसात हुई, कई जगह बिजली के खंबे टूटने की खबर है जिससे जिले की विद्युत सप्लाई ठप्प हो गई है। इधर, देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सदारीपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध महिला और चार बकरियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला तेज आंधी पानी से बकरियों को बचाते हुए सुरक्षित जगह बांध रही थी तभी अचानक तेज गरज-चमक के साथ बिजली गिर गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में चर रही चार बकरियां भी चपेट में आकर मर गईं।

अवैध उत्खनन पर ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

शिवपुरी। जिले में करैरा अनुविभाग अंतर्गत रौनीजा घाट पर देर रात संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध उत्खनन करते एक एलएनटी पॉकलेन मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जब्त किया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में एसडीएम अनुराग निंगवाल एवं एसडीओपी डॉ आयुष जाखड़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ललित शर्मा एवं सुनारी चौकी प्रभारी चेतन शर्मा भी मौजूद रहे। जब्त वाहनों को सुनारी चौकी थाना करैरा की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध उत्खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

श्रद्धालुओं के लिए मॉडल स्टेट बनेगा मप्र

जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास तथा सभी जरूरी नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन और अध्ययन किया जा रहा है. जिससे मध्यप्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जा सके.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को माता वैष्णो देवी धाम के लिए प्रस्थान करने से पहले जम्मू में स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सभी व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए मप्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया हुआ है. प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पूजा स्थलों में उज्जैन का श्री महाकाल मंदिर, श्री महाकालेश्वर देवस्थान, श्री ओंकारेश्वर देवस्थान और भोजशाला शामिल हैं, जिसे हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा मां वाग्देवी के मंदिर के रूप में मान्यता दी गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैष्णो देवी धाम में माता का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने जा रहे है. उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर प्रबंधन द्वारा यहां एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और कई सेवा संस्थान भी चलाए जा रहे हैं. जिनसे श्रद्धालुओं और यात्रियों को दर्शन के लिए सुव्यवस्थित और संगठित व्यवस्था प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें सुगम और सुविधाजनक अनुभव मिल सके. हमारा प्रतिनिधिमंडल इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा इससे श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा सेवा प्रकल्प तैयार किया जा सके.

धार्मिक स्थलों पर बढ़ायेंगे सुविधाएं, करायेंगे आधुनिक विकास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हम प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं, यात्रियों और नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे है. व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार के उद्देश्य से हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा देश के प्रमुख धार्मिक, पूजा स्थलों का भ्रमण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है. अध्ययन के उपरांत प्राप्त अनुभवों और प्रतिनिधिमंडल के सुझावों पर अमल कर मप्र सरकार सभी धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाएगी. धार्मिक स्थलों पर सभी प्रकार के जरूरी एवं अत्याधुनिक विकास कार्य कराए जायेंगे तथा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा.

मुफ्त बिजली योजना से जगमगा रहे 1.30 लाख घर

भोपाल, 29 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है. आत्मनिर्भर ऊर्जा के साथ सशक्त भारत की दिशा में केन्द्र सरकार के बढ़ते कदमों का ही सुपरिणाम है कि आज देश के 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित हो गए हैं. इनमें मध्यप्रदेश के 1 लाख 29 हजार 971 घर शामिल हैं. ये सभी घर-परिवार अब बिजली बिल की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त होकर स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा से रौशन हो रहे हैं. मध्यप्रदेश में स्थापित इन सोलर संयंत्रों से 456 मेगावॉट से अधिक स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है। मुफ्त बिजली योजना के नेशनल पोर्टल के अनुसार इस योजना से अब तक प्रदेश के 1 लाख 34 हजार 436 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं.

सीनियर की प्रताड़ना से त्रस्त होकर छात्र ने लगाई थी फांसी

जबलपुर, 29 मई. नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पांच सीनियर छात्रों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण जूनियर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के तहत दर्ज एफआईआर तथा ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण को खारिज किये जाने की मांग करते हुए सभी पांच डॉक्टरों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि ऐसा कोई आधार नहीं है कि कार्रवाई को जारी रखना कानून प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा.जांच के दौरान एजेन्सी के द्वारा इकट्ठा किये गये साक्ष्य के आधार पर ट्रायल को फैसला सुनाना ?रूरी है. याचिकाकर्ता सलमान खान, विकास द्विवेदी व अन्य तीन डॉक्टरों की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भगवत देवांगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था.सभी याचिकाकर्ता उससे सीनियर छात्र थे.उसने 1 अक्टूबर 2020 को अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.याचिकाकर्ता उसी डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे.

> मृतक के भाई प्रहलाद व देवी देवांगन की शिकायत पर गड़ा पुलिस ने सभी याचिकाकर्ताओ के खिलाफ धारा 306 तथा 34 के तहत 3 नवम्बर 2020 को प्रकरण दर्ज करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी. पुलिस ने जांच के दौरान डॉ. अलौकिक गुप्ता, डॉ. रवि दिवाकर, डॉ. नवीन कुमार चोलक, डॉ. प्रणय खंडेलवाल और डॉ. सुमित नाहटा सहित कई गवाहों के धारा 161 और 164 के तहत बयान दर्ज किए थे.पुलिस जांच के अनुसार याचिकाकर्ता सीनियर होने के कारण भगवत को परेशान व बेइज्जत करते हुए रैगिंग करते हुए शारीरिक स?ा देते थे.

करंट से तीन राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत

डीपी पर बैठने से हुआ हादसा, वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया

विनय असाटी

दमोह, 29 मई. जिले के वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुंजी में तीन राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है. वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ईश्वर जरांडे को सूचना मिलते ही तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी और टीम को भेजकर मौका मुआयना कराया गया.

जहां तीनों मोर मृत अवस्था में मिले, वन विभाग ने पंचनामा भरकर तीनों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार डीएफओ ईश्वर जरांडे, तहसीलदार आशुतोष गुप्ता, प्रभारी रेंजर अखिलेश चौरसिया और टीम द्वारा जबलपुर नाका स्थित वन डिपो में विधीवत कराया गया. बता दें कि तीनों राष्ट्रीय पक्षी मोर विद्युत डीपी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक एक-एक को करंट लगने से उनकी मौत हुई है.एक मोर डीपी से चिपक गई थी, वहीं दूसरी तड़प-तड़प कर गिर गई और तीसरी की भी मौके पर ही मौत हो गई. मौजूद ग्रामीण तुलसीराम तिवारी ने वन विभाग को सूचना दी, तब मौके डिप्टी रेंजर तनवीर, वनरक्षक कपिल राज, प्रदीप दुबे वनपाल, वनरक्षक संजय, अंकित कुशवाहा, हीरा ठाकुर और कमल ठाकुर द्वारा पहुंचकर पंचनामा भरकर उनका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया गया.

चौपाटी-टीलाखेड़ा क्षेत्र में चौथे दिन भी गरजा नगर परिषद का बुलडोजर

पुलिस बल की मौजूदगी में हटाए गए अतिक्रमण, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

पिपलियामण्डी। नगर परिषद द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान शुक्रवार को भी लगातार चौथे दिन जारी रहा। महू-नीमच हाईवे स्थित चौपाटी क्षेत्र में नगर परिषद की टीम भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई।

वही टीलाखेड़ा में बालाजी मंदिर के सामने कार्रवाई के दौरान जिन गुमटियों को हटाया था वहां समतलीकरण किया गया व मटेरियल हटाया। पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल बना रहा तथा बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। नगर परिषद द्वारा पिछले कुछ दिनों से चौपाटी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की विशेष मुहिम चलाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हाईवे किनारे लगातार बढ़ रहे अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमणों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार सुबह नगर परिषद का अमला जेसीबी मशीन एवं अन्य संसाधनों के साथ चौपाटी क्षेत्र पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों एवं ठेला संचालकों ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि निर्धारित सीमा से आगे किए गए निर्माणों को परिषद द्वारा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा पूर्व में लाइनिंग कर सीमाएं निर्धारित की जा चुकी हैं और इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से आगे अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ईद उल अजहा के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी, लेकिन शुक्रवार को पुनः अभियान शुरू करते हुए चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रखी गई। नगर परिषद की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

> नगर परिषद सीएमओ प्रवीण सेन ने बताया कि परिषद द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा की गई लाइनिंग से आगे जिस किसी ने भी अतिक्रमण कर रखा है, वह स्वयं हटा ले, अन्यथा परिषद द्वारा बुलडोजर चलाकर उसे हटाया जाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार रहेगा। सीएमओ ने कहा कि शहर को व्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

प्रशासन की आंखों में धूल झोंक हो रहे नलकूप खनन!

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र। जिले में ग्रीष्मकाल व जल संकट की संभावना और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा बिना अनुमति नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आरोप है कि प्रशासनिक आदेशों को धता बताते हुए कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से नलकूप खनन जारी है।

चमेली की बाड़ी में सामने आया मामला, बिना अनुमति किया गया खनन :- ताजा मामला चमेली की बाड़ी क्षेत्र का है, जहां 27 मई को चंद्रकांता पति विट्ठलदास महाजन के आवासीय भूखंड पर कथित रूप से बिना वैध अनुमति के नलकूप खनन कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब बोर मशीन संचालक से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वह संतोषजनक जवाब देने के बजाय मौके से निकल गया।

अनुमति पत्र में तारीख बदलने का आरोप, बढ़ा विवाद :- भूमि स्वामी द्वारा दिखाई गई अनुमति की छायाप्रति में जारी दिनांक 07/04/2026 को बदलकर 07/05/2026 किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि संशोधित दिनांक को भी सही मान लिया जाए, तब भी नियमों के अनुसार 15 दिन की समय सीमा में खनन नहीं होने से अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाती है।

'हां, हमने तारीख बदली है' — बाबू के कथित बयान से मचा हड़कंप :- शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों का दावा है कि संबंधित बाबू से पूछताछ करने पर उन्होंने कथित तौर पर स्वीकार किया कि तारीख उन्होंने ही बदली है। हालांकि तारीख बदलने का कारण पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका।

15 जुलाई तक पूर्ण प्रतिबंध, फिर कैसे चल रहे बोर?:- जिला प्रशासन के आदेश अनुसार 15 जुलाई 2026 तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल शासकीय पेयजल व्यवस्था के लिए सीमित छूट दी गई है, जबकि अन्य सभी मामलों में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।

नियम साफ: 15 दिन में खनन नहीं तो अनुमति स्वतः समाप्तः- अनुमति की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि 15 दिवस के भीतर नलकूप खनन नहीं होने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। साथ ही पानी का उपयोग निर्माण या कृषि कार्यों के लिए प्रतिबंधित रहेगा तथा संकट की स्थिति में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था में सहयोग करना होगा।

आखिर किसके संरक्षण में हो रहा नलकूप खनन?

जब नियम साफ हैं, प्रतिबंध लागू है और अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में यह नलकूप खनन हुआ। अब निगाहें प्रशासन पर हैं—सूत्रों की माने तो सारा मामला साहब की जानकारी में भी है तो क्या बिना वैध अनुमति हुए खनन पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी 'कूप की गहराई' में दबकर रह जाएगा।

जंगल में आग लगाने वाले आरोपी को वन अमले ने दबोचा

छिंदवाड़ा. इन दिनों जिले भर में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है जिसके चलते अगजनी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है. जंगल में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. चौरई परिक्षेत्र के जंगल में आग लगाने की घटना सामने आने पर वन अमले ने आग लगाने वाले को गिरफ्तार किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र चौरई के अंतर्गत सांख सर्किल के करलई वन क्षेत्र में आग लगने की सूचना पर वन अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को पकड़ा गया वही दूसरा एक अन्य आरोपी फरार हो गया. वन अमले ने वनक्षेत्र में आग लगाने वाले आरोपी ग्राम ग्रेटिया निवासी सतीश पिता हजारीप्रसाद उईके को गिरफ्तार कर लिया वहीं दूसारा आरोपी फरार हो गया.

असुविधाएं | चार महत्वपूर्ण मांगों का आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस पार्षद दल बोला- समस्याओं से घिर चुका शहर

छिंदवाड़ा. भाजपा शासित नगर पालिक निगम समस्याओं से घिरा हुआ है। नागरिक समस्याओं से जूझ रहा और निगम बेखबर है। जनहित से जुड़ी समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्षदल ने चार प्रमुख मांगों का ज्ञापन नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त को सौंपा साथ ही समस्याओं के अविलम्ब निराकरण हेतु मांग की है।

कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि निगम क्षेत्र के नागरिकों को अनेक गंभीर असुविधाओं व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा पूर्व भी इन समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया, किन्तु जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ननि स्थाई समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। अन्यथा आगामी दिनों में कांग्रेस वृहद आंदोलन करेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय निगम नेता प्रतिपक्ष हंसा अम्बर दाढ़े, निगम अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोनू मागो, निगम विधायक प्रतिनिधि प्रबल प्रदीप सक्सेना, पार्षदगण श्रीमती मंजू बैस, तरूण कराड़े, नदीम अहमद, बृजेश टिंकू राय, सरिता काले, नौशीन कुरैशी उपस्थित रहे।

भिण्ड में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश

भिण्ड। नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत के मार्गदर्शन में देहात थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस ने मुखिबर की सूचना पर दो महिला दो युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला भिण्ड जिले के देहात थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने पैर में दर्द का बहाना बनाकर एक युवक को अपने जाल में फसाकर घर छोड़ने के बहाने मदद मांगी।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रजि. आफिस: 11वां माला, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गनपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

शुद्धि-पत्र

यह शुद्धि-पत्र हमारे कब्जा नोटिस (अचल संपत्तियों के लिए) के विज्ञापन के संदर्भ में है. यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 (1) के तहत अनुसूची IV के अनुसार जारी किया गया था. यह विज्ञापन दिनांक 29-05-2026 को बिजनेस स्टैंडर्ड - भोपाल + नवभारत - इंदौर में प्रकाशित हुआ था. इसके तहत निम्नलिखित विवरण संशोधित किए जाते हैं :- **उधारकर्ता क्रम संख्या 2, नाम-** श्रीमती सुंदर केमा (सह-उधारकर्ता) माता और स्वर्गीय श्री हरीश केमा (उधारकर्ता) के कानूनी वारिस. **लोन अकाउंट नंबर-** 10028616 **संशोधन-** गलत तरीके से छपी तारीख 12.03.2023 के स्थान पर सही मांग तिथि को 12-03-2026 पढ़ा जाए. **उधारकर्ता क्रम संख्या 3 की संपत्ति- नाम-** श्रीमती सीमा नामदेव (सह-उधारकर्ता) एवं श्रीमती मीरा नामदेव. **लोन अकाउंट नंबर-** TCHIN0284000100158806 और TCHHL0284 LO000100157913 और TCHIN0284000100238630 **संशोधन-** गलत तरीके से छपी तारीख 10.03.2023 के स्थान पर सही मांग तिथि को 10-03-2026 पढ़ा जाए. **उधारकर्ता क्रम संख्या 4 की संपत्ति- नाम-** श्री भरतदास वैष्णव (उधारकर्ता) एवं श्रीमती कांता वैष्णव (सह-उधारकर्ता). **लोन अकाउंट नंबर-** TCHHF02840 00100237409 और TCHHL 0284 000100226883 **संशोधन-** गलत तरीके से छपी तारीख 10.03.2023 के स्थान पर सही मांग तिथि को 10-03-2026 पढ़ा जाए. इस अनजाने में हुई त्रुटि के लिए हमें खेद है.

दिनांक- 30-05-2026 | **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी**

स्थान- इंदौर | **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14 (फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्रीमती चंचल चंदवाड़े, श्री राजकमल चंदवारे, कामाक्षी पेंटर्स (ऋण खाता संख्या: आईएल10875761)	गिरवी रखी गई संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, प्लॉट संख्या: ईडब्ल्यूएस-30, हाईवे ड्रीम सिटी ए, ग्राम बडोदिया एमा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 453551। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 400.00, 111.00	रुपये 1205884/- (रु. बारह लाख पांच हजार आठ सौ चौरासी मात्र)	13/10/2025	26/05/2026
श्री कमलेश सांवलिया श्री मनीषा सांवलिया कालिका गारमेंट्स (ऋण खाता संख्या: आईएल10632898, आईएल10331551)	बंधक संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल: खसरा क्रमांक 1503 मिनट 12 एवं 1504 मिनट, कस्बा जावद, वार्ड क्रमांक 05, पी.एच.एन. 10, नीमच, मध्य प्रदेश, 458330, भारत. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 2317.00, 1852.00, 2317.00	रु. 2140568/- (रु. इक्कीस लाख चालीस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) आईएल10331551 के लिए और रु. 432143/- (रु. चार लाख बत्तीस हजार एक सौ तिरतालीस मात्र) आईएल10632898 के लिए	10/09/2025	26/05/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 30-5-2026 | हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.